प्रथम / द्वितीय प्रति

निविदा फार्म क्रमांक . . . . . .

अहस्तांतरणीय

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण हेतु

गेहूँ क्रय ई–निविदा दस्तावेज

(बिलासपुर संभाग)

रायगढ़, जांजगीर, कोरबा

वर्ष 2014–2015 एवं 2015–16

निविदा दिनांक 05.02.2015

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

''हितवाद परिसर'' अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत गेहूँ क्रय हेतु निविदा के सामान्य विवरण बिलासपुर संभाग (रायगढ़, जांजगीर, कोरबा) हेतु ई–निविदा दस्तावेज

छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों में कारर्पोरेशन के संबद्ध प्रदाय केन्द्रों पर स्थित गोदामों में गेहूँ प्रदाय हेतु भारत सरकार–राज्य सरकार के उद्यम/प्रतिष्ठित निर्माताओं–सहकारी अथवा निजी गेहूँ मिलें/प्रदायकर्ताओं (जो निविदा की न्यूनतम अर्हताॅए पूर्ण करते हों) से वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (अर्थात 1 फरवरी 2015 से 31 जनवरी 2016 तक) के लिए ई–निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु यह निविदा दस्तावेज हैं। निविदा कार्यक्रय का विवरण निम्नानुसार हैः–

Seq. No.	NAN	Bidder	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		07.01.15	10.00	08.01.15	17.00	
2		Bid Download	08.01.15	17.01	05.02.15	15.00	
3		Submit Bid Hash on line Payment of bid submission fee	08.01.15	17.01	05.02.15	15.00	Envelope A and Envelope C
4	Close For Bidding (Super Hash)		05.02.15	15.01	05.02.15	16.00	Envelope A and Envelope C
5		Submit Bids on line (only with encryption by department pub. Key.)	05.02.15	16.01	06.02.15	11.00	Envelope A and Envelope C
6	Open Envelope A		06.02.15	11.01	07.02.15	14.00	Envelope A
7	Evaluation of Envelope A		06.02.15	11.01	07.02.15	14.00	
8	Open Price/financial bid Envelope C		07.02.15	14.01	07.02.15	17.00	Envelop 'C'
9	Evaluation of price Envelope C (and information to successful bidders in negotiation)		07.02.15	14.01	07.02.15	17.00	
10		Fill Negotiate Rates (if required)	--		--		
11	View Item rate Form		--		--		
12	Tender Award		--		--		

टिप्पणी :–

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है ।
3. निविदा दिनांक 05.02.2015 को दोपहर 3.00 बजे तक ऑनलाईन से जमा किया जाना है। निविदा जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रक्रिया का विधिवत् अध्ययन कर लें एवं अंतिम समय का इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई न हो। अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन

निविदा जमा नहीं होने पर समयावृद्धि करने हेतु कोई दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।

4. निविदा दस्तावेज की प्रति Online में ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

5. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://nan.chips.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा फार्म के लिए राशि रू. 5000 (पांच हजार) प्रोसेसिंग फीस एवं रू. 4000 (चार हजार) बीड सबमिशन फीस कुल राशि रू. 9000 (नौ हजार) वेबसाईट http://nan.chips.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।

6. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ 01 से 31 तक समाहित है। उपरोक्त समस्त निर्देश भी निविदा का भाग होगा।

7 NCDEX के माध्यम से भी निविदायें आमंत्रित की जा रही है । NCDEX एवं निगम द्वारा आमंत्रित ई–निविदा में जो भी दर न्यूनतम रहेगी वह मान्य किया जायेगा ।

Managing Director,
CG State Civil Supplies Corporation Ltd.,
Place: Raipur Chhattisg

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के प्रदाय केन्द्रों में कार्पोरेशन के जिलों पर स्थित गोदामों में निर्धारित स्पेसिफिकेशन की गेहूँ प्रदाय करने हेतु यह निविदा दस्तावेज है। निविदाकार को निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार गेहूँ एफ.ओ.आर. आधार पर कार्पोरेशन के संबद्ध जिलों के गोदामों में आदेशानुसार पहुँचाकर उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित स्पेसिफिकेशन गेहूँ प्रदाय हेतु जो निविदादाता न्यूनतम अर्हताए पूर्ण करते है, जिसका विवरण इस निविदा दस्तावेज में अंकित है, ऐसे पात्र निविदाकारों से ही यह निविदा आंमत्रण प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पात्र उपभोक्ताओं को गेहूँ वितरण हेतु किया गया है।

1. उल्लेखनीय है कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर छ.ग. शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत हैं। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहें हैं जिनमें मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनान्तर्गत खाद्यान्न/गेहूँ क्रय कर वितरण एवं गेहूं, धान तथा मोटे अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत उपार्जन करना मुख्यतः सम्मिलित है।

2. निविदाकारों से अनुरोध हैं कि कृपया इस दस्तावेज को एवं समस्त परिशिष्टों को भली भाति पढ़ने और समझने के बाद तकनीकी बिड में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों को संपूर्ण सावधानी के साथ प्रस्तुत करें। यदि निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड में निर्धारित कोई भी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उनकी प्रस्तुत फाइनेन्सियल बिड नहीं खोली जायेगी तथा वे निविदा में अपात्र मान्य किये जायेगें। अतः निविदाकारों को बिड पूर्ण सावधानी के साथ भरना चाहिए।

3 निविदाकार से यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें।

4. निविदांए निर्धारित स्थान, दिनांक एवं समय तक प्राप्त कर खोली जाएगी।

5. यह उद्‌बोधन, निविदा दस्तावेज मय संलग्न परिशिष्टो में गेहूँ क्रय निविदा और संविदा के विभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य रहेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि निविदा की समस्त शर्तो–प्रावधानों और संलग्न परिशिष्टो का भलीभांती अध्ययन कर कार्पोरेशन के इस वृहद जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ राज्य में निर्धारित गोदामों पर गेहूँ प्रदाय हेतु आवश्यक विवरण एवं प्रमुख शर्ते

1. सामान्यः–

1.1 निविदाकार को अपनी निविदा स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर निर्धारित स्थान और निविदा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक ही प्रस्तुत की जाना है। निविदाकार निर्माता अथवा प्रदायकर्ता किस हैसियत से निविदा प्रस्तुत कर रहा है, का स्पष्ट उल्लेख निविदा में करना अनिवार्य है।

1.2 निविदांए कार्पोरेशन द्वार निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही स्वीकार की जाएगीं जो कार्पोरेशन की वेबसाईट से डाउनलोड कर मूल प्रति पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रति पर कोई कटिंग/संशोधन मान्य नहीं होगा।

1.3 निविदांए कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित निविदा शर्तो के तहत ही मान्य होगी। अतः प्रस्तुत की जा रही निविदा मे किसी भी प्रकार की शर्ते शामिल नहीं की जाना चाहिए अन्यथा निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगा। एक बार प्रस्तुत निविदा आफर में कोई परिवर्तन या सुधार मान्य योग्य नहीं होगा। यदि कोई निविदाकार, निविदा प्रस्तुत करने के बाद उसे वापसी के लिए आवेदन देता है तो यह मान्य नहीं होगा और ऐसा करने पर निविदाकार की अमानत राशि बिना किसी अन्य सूचना के राजसात की जा सकेगी।

1.4 निविदा के लिए विज्ञापित निविदा की अंतिम तिथि के तीन दिवस पूर्व तक अपरिहार्य परिस्थितियों में निविदा की शर्तो में संशोधन किया जा सकेगा। यह संशोधन कार्पोरेशन की वेबसाईट पर देखकर निविदाकार को स्थिति अनुसार निविदा की अंतिम तिथि तक अपनी निविदा प्रस्तुत करने की जवाबदेही रहेगी। उपरोक्तानुसार संशोधन होने और इसे देखने पर कार्पोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा और समस्त जबावदेही निविदाकार की रहेगी।

1.5 निविदाकार को निविदा की समस्त शर्तो ओर प्रदाय की समस्त स्थानीय परिस्थितियों को समझ कर ही स्वीकृति की दशा में अपनी दर प्रस्तुत की जाना है। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर की स्वीकृति की दशा में आफर लेटर जारी किए जाने की दिनांक से 07 दिवस में अनुबंध किया जाना आवश्यक होगा।

1.6 इस निविदा और होने वाली संविदा हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. एवं स्वीकृत निर्माता/प्रदायकर्ता पक्षकार होंगे।

1.7 प्राप्त निविदा/निविदाओं में से किसी भी निविदा या/और समस्त निविदाओं को बिना कारण बताएं निरस्त/मान्य करने का अधिकार कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

1.8 निविदाकार गेहूँ निर्माता/प्रदायकार्ता की यह स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि गेहूँ प्रदाय हेतु आवश्यक सभी जीवित और प्रचलित लाईसेंस/परिमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज वह उपलब्ध रखे। इसमें कार्पोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। दस्तावेज के अभाव अथवा निविदा में गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी समस्त जवाबदारी संबंधित गेहूँ निर्माता/प्रदायकर्ता की होगी।

1.9 निविदा अवधि अंतर्गत नए जिले बनने अथवा जुड़ने पर संबंधित जिलों के अंतर्गत स्वीकृत दर पर गेहूँ प्रदाय और भुगतान प्राप्त करने हेतु अनुबंधित प्रदायकर्ता बाध्य होंगे।

1.10 निविदा की अनुबंध अवधि अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह हेतु प्रबंध संचालक द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जिसे मानने के लिए अनुबंधित निविदाकार बाध्य होंगे।

1.11 निविदा में कोई अवस्यक भाग नहीं ले सकेगा।

2. निविदा अंतर्गत संभावित क्रय मात्रा

2.1 छ.ग. में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता पूर्ति और स्टाक को बनाए रखने के दृष्टिकोंण से प्रतिमाह कुल लगभग 4332 मे.टन निर्धारित मापदण्ड की गेहूँ जिसका जिलेवार विवरण निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट क्रमांक–2 में वर्णित है, आपूर्ति आवश्यक है जिसके लिए यह निविदा जारी की गई है जिसकी समय पर पूर्ति हेतु अनुबंधित निविदाकार की बाध्यता रहेगी। उक्त मात्रा कम या अधिक हो सकती है, शासन की इस विषय नीति परिवर्तित होने पर निविदा स्वीकृत के बाद भी क्रय को रोका जा सकता है और ऐसी स्थितियों में स्वीकृत/अनुबंधित निविदाकार को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग का अधिकार नहीं होगा। इस बात के स्पष्ट समझने के साथ सभी निविदाकार अपनी निविदा प्रस्तुत करें।

2.2 संविदा उपरांत क्रय आदेश दिए जाने की तिथि से आदेशित मात्रा छ.ग.स्थित कारपोरेशन द्वारा किराये पर लिये गये राज्य/केन्द्रीय भण्डार गृह निगमों के गोदामों में अधिकतम 15 दिवस में पहुंचा कर सुपुर्द करने की जवाबदारी अनुबंधित निविदाकार की हागी। इस क्रय मात्रा का प्रदाय उक्त अवधि में आदेश दिनांक के अधिकतम 03 दिवस में प्रारंभ होकर दी गई समय अवधि में शीघ्रता से पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर निर्धारित पेनाल्टी राशि अधिरोपित होगी और कारपोरेशन वैकल्पिक क्रय व्यवस्था कर अंतर राशि अनुबंधित निविदाकार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

2.3 निगम को आगामी 01 वर्ष के लिए 51984 मे0टन गेहूं की आवश्यकता होगी। प्रदायकर्ता को प्रतिमाह 4332 मे0टन गेहूं प्रदाय करना आवश्यक रहेगा । निगम से अनुबंध निष्पादन के 12 माह के भीतर ही इस संपूर्ण मात्रा 51984 मे0टन क्रय कर लिया जावेगा । इसके प्रदाय की बाध्यता प्रदायकर्ता पर रहेगी। अनुबंध की अवधि आगामी तीन माह अथवा अगले अनुबंध होने तक, जो पहले हो बढ़ाई जा सकेगी तथा निगम को आवश्यकता अनुसार 25% मात्रा की वृद्वि की जा सकती है तथा 25% तक कमी की जा सकती है।

संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में गेहूं प्रदाय आदेश देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। निगम मुख्यालय से लगभग अनुमानित साप्ताहिक/पाक्षिक प्रदाय मात्रा की जानकारी यदि चाहे तो प्राप्त कर सकता है किंतु वास्तविक मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जब–जब गेहूं की आवश्यकता होगी वह यथा संभव प्रदाय हेतु आदेश प्रतिष्ठान को सौंपा जायेगा। यदि कभी कोई गेहूं क्रय आदेश अथवा गेहूं क्रय की मात्रा कम या अधिक रही, तो इसके लिए प्रतिष्ठान कार्पोरशन को या उसके विरूद्व कोई दावा नहीं कर सकेगा एवं कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संविदा के पक्षकार गेहूं प्रतिष्ठान एवं प्रबंधक (पी.डी.एस.), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड हैं।

3. गेहूँ का स्पेशिफिकेशनः–

3.1 इस निविदा के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता की A Grade गेहूँ जिसका स्पेसिफिकेशन इस निविदा प्रपत्र के साथ परिशिष्ट क्रमांक–01 के रूप में संलग्न है के अनुसार निर्धारित जिलों के गोदामों में स्वीकार की जावेगी।

3.2 प्रदाय किया जा रहा गेहूँ स्टाक नवीन गेहूँ उत्पादन वर्ष 2014–15 के स्टाक एवं मई 2015 से 2015–16 के स्टॉक से प्रदाय योग्य रहेगा। इसका उल्लेख प्रदाय किए जा रहे स्कंध के बोरों पर स्पष्टतः अंकित होना चाहिए।

3.3 निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार A Grade गेहूँ प्रदाय न किए जाने की स्थिति में संबंधित जिलों के गोदामों पर प्रदायकर्ता के व्यय/जवाबदारी पर ऐसे स्कंध को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.4 जिलों के गोदामो में जो भी A Grade गेहूँ सुर्पद किया जावेगा, वह निर्धारित गुणवत्ता की अच्छी किस्म का होना चाहिए। इस हेतु खाद्यान्न के विश्लेषण के लिये अधिकृत सर्वेयर का विश्लेषण संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा । प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की गई गेहूं की सेम्पलिंग प्रदाय केन्द्र स्तर पर निगम द्वारा समय–समय पर गुणवत्ता परीक्षण किया जावेगा । गेहूँ के खराब होने/गीली होने/स्वीपेज मिश्रण होने पर अथवा कटे–फटे बारदानो में पेक होने पर किसी भी स्थिति में स्वीकार नही की जाऐगी। प्रदायकर्ता स्वतः के व्यय पर गेहूं उठाकर ले जावेगा एवं उसके स्थान पर निर्धारित गुणवत्ता का गेहूं प्रदाय करेगा ।

4 गेहूँ की पैकिंग :–

4.1 इस निविदा के तहत प्रदाय की जाने वाली गेहूँ को 50 किलोग्राम पैकिंग क्षमता के नए पोलीप्रापलीन बैंग जिसका वजन कम से कम 150 ग्राम का बैग साईज 57CM चौड़ाई एवं 96CM लंबाई में डबल मशीन स्टिचिंग के साथ प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा ।

4.2 उपरोक्त पैकिंग के प्रत्येक बैग में शुद्ध 50 किलोग्राम निर्धारित मापदण्ड की गेहूँ की स्टैंडर्ड पैकिंग होना चाहिए।

4.3 अनुबंधित प्रदायकर्ता को प्रत्येक गंतव्य जिलों के गोदाम पर गेहूँ स्कंध की सुपुर्दगी के समय आधा किलो की पारदर्शी पोलीथीन/पेट जार मे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के मान से प्रदाय की जा रही गेहूँ का सील्ड सैम्पल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5 निविदा की अमानत/जमानत राशि :–

5.1 प्रत्येक निविदाकार को इस निविदा के साथ प्रत्येक संभाग के लिए रूपये 1.00 करोड़ दिनांक 05.02.2015 तक छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि. रायपुर के खाता क्रमांक 32169202827, IFSC CODE- SBIN 0007237, न्यूशांतिनगर, स्टेट बैंक आफ इंडिया में RTGS के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है । अमानत राशि निगम में जमा होने पर NCDEX में भी मान्य किया जावेगा तथा NCDEX में राशि जमा होने पर निगम में मान्य किया जावेगा । अतः निविदादाता को एक ही जगह अमानत राशि जमा करना है ।

5.1 निविदा पर विचार के दौरान प्रस्तुत की गई अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगी।

5.2 निविदा स्वीकृत होने की दशा मे जमा ई.एम.डी. राशि अनुबंध निष्पादन होने के उपरांत वापसी होगी। स्वीकृत दर अनुसार रूपये 5.00 करोड़ की जमानत राशि के रूप में जमा कर कार्पोरेशन के पक्ष में अनुबंध निष्पादन करना होगा। प्रतिभूति राशि किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा

बैंक गारन्टी के रूप में 15 माह के लिए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नाम से जमा किया जाना होगा।

5.3 अस्वीकृत निविदाकारों की अमानत राशि निर्णय उपरांत यथाशीध्र संबंधित निविदाकारों को वापिस की जाएगी। पात्र निविदाकार जिनकी फाईनेंशियल बिड खोली गई है में द्वितीय न्यूनतम निविदाकार की भी अमानत राशि प्रथम न्यूनतम अनुबंधित निविदाकार से अनुबंध निष्पादन के बाद वापसी योग्य होगी।

5.5 निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के बाद उसे वापिस लेने अथवा स्वीकृति के बाद अनुबंध न करने के फलस्वरूप प्रस्तुत अमानत राशि जब्त कर निविदाकर को आगामी 06 माह के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।

5.6 निविदाकार के पास वित्तीय वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 अथवा 2014–15 में खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ/खाद्यान्न के प्रसंस्करण, व्यवसाय का 02 माह की मात्रा (लगभग 8664 मे.टन) के मूल्य के समतुल्य वार्षिक न्यूनतम टर्न ओवर 18.00 करोड़ होना अनिवार्य है। साक्ष्य स्वरूप फर्म/कम्पनी की AUDITED बेलेंस सीट, लाभ–हानि खाता संलग्न करें (UNAUDITED मान्य नहीं होगी) ।

5.7 एक निविदाकार द्वारा यदि रायपुर संभाग, के लिये निविदा डाली जाती है तो 23 करोड़ का टर्न ओव्हर, दुर्ग/बस्तर के लिये निविदा डाली जाती है तो पृथक से 23 करोड़, बिलासपुर/सरगुजा संभाग के लिये निविदा डाली जाती है तो पृथक से 18 करोड़ एवं बिलासपुर संभाग के लिये निविदा डाली जाती है तो पृथक से 18 करोड़ इस प्रकार सभी संभागों के लिये निविदा डाला जाता है तो ऐसी स्थिति में कुल टर्न ओवर 82 करोड़ का होना अनिवार्य है ।

6. निविदा में दर की प्रस्तुति :–

6.1 निर्धारित स्पेसीफिकेशन की छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 के छत्तीसगढ़ स्थित वर्तमान में जिलों के गोदाम में पहुंचाने के समस्त व्ययों (गेहूँ क्रय मूल्य, एक्साईज ड्यिूटी, कस्टम ड्यिूटी, सेस, वेट, प्रवेश कर, केन्द्रीय कर, सर्विस टैक्स आदि एवं लोडिंग–अनलोडिंग सहित निगम के गोदामों में पहुंचा कर स्टेक में रखवाने तक के समस्त परिवहन हम्माली, आदि समस्त व्ययों सहित) एकजाई उपरोक्तानुसार एफ0ओ0आर0दरें आमंत्रित की गई है। निविदाकार को उपरोक्त उल्लेखित व्ययों के अतिरिक्त यदि इस कार्य में अन्य करों आदि का भुगतान करना पड़ता है तो वह भी उसे वहन करना होगा कार्पोरेशन उपरोक्त के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा।

6.2 निगम के उल्लेखित जिलों में गोदामों को कार्य–सुविधा के दृष्टिकोण से निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट क्रमांक–02 में विवरण अनुसार इस परिशिष्ट में प्रत्येक जिले और उसके संबंद्ध गोदामों में प्रतिमाह प्रदाय की जाने वाली गेहूँ मात्रा का संभावित विवरण भी अंकित किया गया है। निविदाकारों के इस प्रपत्र के अनुसार अपनी निविदा दरें गोदाम में गेहूँ मात्रा प्रदाय करने के समस्त व्ययों सहित निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 03 में (केवल ऑनलाईन के माध्यम से) प्रस्तुत करना होगी, जिसके आधार पर पात्र निविदाकारों में से निविदा के प्रथम और द्वितीय न्यूनतम तथा आगे के क्रम का निर्धारण किया जाएगा। निविदा दरें प्रस्तुत करते समय इस प्रक्रिया – व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए इस बारे में बाद में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

6.3 निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली दरें भारतीय रूपये में प्रस्तुत की जाना होंगी। यह निविदा दरें अनुबंधित पूरी अवधि के लिए प्रभावशील रहेंगी और बाजार में किसी भी प्रकार के उतार–चढ़ाव के कारण अनुबंधित अवधि में दरों का कोई पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

6.4 निगम द्वारा NCDEX के माध्यम से भी निविदायें आमंत्रित की जा रही है । निगम द्वारा आमंत्रित दर एवं NCDEX के के माध्यम से प्राप्त दर मे जो दर न्यूनतम होगा व मान्य किया जावेगा।

7. निविदा की प्रस्तुती प्रक्रिया :–

7.1 निविदाकार को निम्नानुसार वांछित समस्त दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगेः–

अ– तकनीकी बिड समस्त दस्तावेजों का विवरण ।
ब – प्राईज बिड ।

8 अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त घोषित शेड्यूल में परिवर्तन होने पर कार्पोरेशन मुख्यालय नोटिस बोर्ड और कार्पोरेशन की वेबसाइड पर इसे अधिसूचना किया जाएगा, जिसे निविदाकारों को दी गई सूचना मान्य किया जाएगा। पृथक से निविदाकारों को इसकी कोई सूचना नहीं दी जाएगी, अतः सभी इच्छुक निविदाकार कृपया इसका ध्यान रखें ।

8.1 निविदा के तकनीकी बिड में सफल निविदाकारों की ही फॉयनेंशियल बिड खोली जाएगी और तकनीकी बिड में असफल निविकारों की फॉयनेंशियल बिड मूल रूप से निरस्त मान्य की जाएगी।

8.2 निविदा प्राप्त करने और खोलने के उपरोक्त अंकित शेड्यूल दिवस पर यदि शासन द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है तो अगले कार्य– दिवस पर समान समय पर यह कार्यवाही की जावेगी। इस बारे में प्रबंध संचालक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं निविदाकारों के लिए बंधनकारी होगा।

8.3 किसी निविदाकार द्वारा निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर वैध केवल एल–1 से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकता है । इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक का होगा।

8.4. सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना अनिवार्य होगा ।

9. प्रतिभूति राशि :–

9.1 निविदा स्वीकृत होने की दशा मे जमा ई.एम.डी. राशि अनुबंध निष्पादन होने के उपरांत वापसी होगी। स्वीकृत दर अनुसार रूपये 5.00 करोड़ की जमानत राशि के रूप में जमा कर कार्पोरेशन के पक्ष में अनुबंध निष्पादन करना होगा। प्रतिभूति राशि किसी राष्ट्रीयकृत/ शेड्यूल बैंक द्वारा बैंक गारन्टी के रूप में 15 माह के लिए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नाम से जमा किया जाना होगा।

9.2 प्रतिभूति राशि अनुबंध के लिए निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर निविदा निरस्ती के साथ प्रस्तुत अमानत राशि राजसात योग्य होगी और निविदाकार को आगामी 3 वर्ष के लिए कार्पोरेशन द्वारा ब्लेकलिस्ट किया जा सकेगा।

9.3 निविदा अनुबंध के साथ जमा प्रतिभूति राशि अनुबंध प्रदायकर्ता को अनुबंध अवधि के सफल समापन के उपरान्त वापसी योग्य रहेगी।

10 अनुबंध :–

10.1 निविदा में उल्लेखित सफल निविदाकारों को सूचित किए जाने तिथि से 15 दिवस के अन्दर निर्धारित शर्तो के अनुसार इस निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 4 के प्रारूप अनुसार रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशीयल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अनुबंध न करने की स्थिति में निविदा के साथ स्थिति अनुसार जमा अमानत/प्रतिभूति राशि राजसात योग्य होगी और निविदाकार को आगामी 3 वर्ष के लिए ब्लेकलिस्ट किया जा सकेगा।

10.2 निर्धारित समय अवधि में अनुबंध न करने पर बिन्दु क्रमांक 10.1 की कार्यवाही के साथ–साथ कार्पोरेशन निविदा में सफल घोषित द्वितीय न्यूनतम निविदाकार से निर्धारण उपरांत अनुबंध के

लिए स्वतंत्र रहेगा। सफल घोषित प्रथम न्यूनतम निविदाकार की कोई आपत्ति इस संबंध में मान्य नहीं होगी।

11. अनुबंधित निविदाकार की प्रदाय एवं भुगतान प्रकिया :–

11.1 अनुबंधित निविदाकारों को प्रत्येक माह की प्रथम तिथि के पूर्व में आ रहे जिलों के अंतर्गत गोदामों तक निर्धारित स्पेसीफिकेशन गुणवत्ता की अच्छी गेहूँ पहुंचकार देने के लिए अग्रिम कार्य आदेश दिए जाएंगे।

11.2 अनुबंधित निविदाकार कार्य आदेश में अंकित मात्रा की सुपुर्दगी आदेश मे अंकित तिथि तक हर हालत में निविदा प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्य प्राथमिकता पर करने की बाध्यता रहेगी। प्रदाय आदेशानुसार संबंधित जिले के गोदामों पर निर्धारित गुणवत्ता की जो गेहूँ सुपुर्द कर प्राप्त की जाएगी मात्र इसी मात्रा के भुगतान के लिए कार्पोरेशन प्रक्रिया अनुसार उत्तरदायी होगा। गोदामों में सुपुर्द की गई अंतिम मात्रा जिसकी पावती कार्पोरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी जाएगी, को ही भुगतान के लिए प्रदायित मात्रा मान्य किया जाएगा। रास्ते में आने वाली मार्गस्थ कमी, अन्य स्कंध हानि अथवा निर्धारित मापदण्ड (स्पेसीफिकेशन) के अनुसार गेहूँ स्कंध न होने से अस्वीकार्य किए जाने की स्थिति में कार्पोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा और यह समस्त निविदादाता की होगी।

11.3 अनुबंधित निविदाकार द्वारा जिलों के गोदामों पर प्रदाय की गई गेहूँ मात्रा की प्राप्ति की पुष्टि ऑनलाईन में प्रदायकेन्द्र प्रभारियों द्वारा प्रविष्ठि करने के पश्चात संबंधित जिला प्रबंधकों द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण/सत्यापन/प्राप्ति के पुष्टि करने के आधार पर ऑनलाईन से प्राप्त देयक के विरूद्व 90 % राशि का भुगतान किया जाएगा। विलम्ब की दशा में मेन्युअल ट्रक चालान /तौलपत्रक के आधार पर 90% का भुगतान किया जावेगा एवं आगामी देयक भुगतान के पूर्व के देयक के साथ आनलाईन प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र पुस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा । प्रदायकर्ता द्वारा ऑनलाईन देयक 02 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा । शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान दिए गए आदेश अंतर्गत जिलेवार गोदामों में सुपुर्द शुद्ध गेहूँ मात्रा की प्राप्ति रसीद/तौलपत्रक के आधार पर प्रत्येक प्रदाय आदेश का बिल समस्त निर्धारित मूल अनुसंलग्नकों सहित कार्पोरेशन मुख्यालय में प्रदाय समाप्ति के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। जिला प्रबंधकों के प्रमाणन के आधार पर परीक्षण उपरांत 90 प्रतिशत अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करते हुये शेष राशि स्वीकृत की जाएगी।

11.4 प्रस्तुत बिल मुख्यालय द्वारा परीक्षण उपरान्त प्रस्तुती दिनांक से अधिकतम 10 कार्य दिवस में निर्धारित प्रक्रियानुसार पूर्ण होने पर अनुबंध की शर्तो के आधार पर यदि कोई कटौती राशि बनती है तो उसके काटकर अनुबंधित निविदकार के दिए गए बैंक खाते में आरटीजीएस/ऑनलाइन फण्ड ट्रांसफर से अंतरित कर सूचित कर दिया जाएगा। यदि कोई अनुबंधित निविदाकार बैंक ड्राफ्ट से भुगतान चाहता है तो इसका कमीशन निविदाकार से काटकर भुगतान योग्य रहेगा।

11.5 किसी अपरिहार्य परिस्थितिजन्य कारणों से अपवाद प्रकरणों में भुगतान विलंब की स्थिति में कार्पोरेशन देय राशि पर किसी भी प्रकार के ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12. प्रदाय में विलंब/डिफॉल्ट की स्थिति में पेनाल्टी/दाण्डिक कटौत्रा :–

12.1 प्रदाय ओदश के तहत निर्धारित मात्रा एंव निर्धरित अवधि तक प्रदाय नहीं करने पर प्रदायकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन के पश्चात 15 दिवस तक प्रदाय अवधि बढाई जा सकती है इस अवधि में कोई पेनाल्टी नहीं काटी जायेगी। निगम प्रबंधन चाहे तो 15 दिवस के अतिरिक्त और 15 दिवस वृद्धि कर सकता है। 30 दिवस से अधिक विलंब होने पर 0.5% राशि की कटौत्री की जावेगी।

इससे अधिक विलम्ब होने पर अनुपातिक रूप से विलम्ब की राशि कटौत्री की जोवगी। 03 माह के विलम्ब अवधि अथवा 3% अधिक पेनाल्टी की स्थिति में निविदा निरस्त किया जाकर निविदाकार की अमानत/जमानत राशि समायोजित कर उनका नाम काली सूची में दर्ज किया जवेगा। विलम्ब शुल्क की वसूली का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

12.2 प्रदाय आदेश के अनुसार गेहूँ प्रदाय आदेश की दिनांक से 7 दिवस में प्रारंभ कर सूचित न किए जाने की स्थिति में कार्पोरेशन निविदा के द्वितीय अथवा अन्य वैकल्पिक माध्यमों से अपनी आवश्यकता की गेहूँ क्रय कर प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ऐसी स्थिति में अनुमोदित निविदा दर और कार्पोरेशन द्वारा वैकल्पिक रूप से क्रय की गई गेहूँ दर की संपूर्ण अन्तर राशि हर्जे–प्रतिभूति सहित अनुबंधित निविदाकार की प्रतिभूति राशि से काटी जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर प्रतिभूति राशि कम निकलती है और अन्तर राशि ज्यादा निकलती है तो शेष राशि निविदाकार से विधि अनुसार वसूल की जा सकेगी।

12.3 इस बारे में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं निविदाकार पर बंधन कारी रहेगा।

13. प्रदाय कार्य को उप पट्टे पर देना :–

इस निविदा अंतर्गत गेहूँ प्रदाय कार्य के सफल एवं अनुबंधित निविदाकार द्वारा किसी अन्य को नहीं सौंपा जा सकेगा।

14 गेहूँ सुपुर्दगी की नियमित सूचनाओं का प्रदाय :–

14.1 प्रत्येक माह अनुबंधित निविदाकार को मुख्यालय द्वारा अग्रिम प्रदाय आदेश के विरूद्ध आबंटित जिलों में जिलेवार–गोदामवार निर्धारित गुणवता की गेहूँ प्रदाय संबंधी जानकारी प्रतिदिन निर्धारित ई–मेल–फैक्स से निगम मुख्यालय में गेहूँ कक्ष तथा निगम के संबंधित जिला प्रबंधकों को प्रतिदिन देना होगी।

14.2 अनुबंधित प्रदायकर्ता को गेहूँ प्रदाय से संबंधित समस्त रिकॉर्ड केन्द्रवार जिलेवार संधारित करना होगा और चाहे जाने पर उसे कार्पोरेशन मुख्यालय/जिला कार्यालयों को मांगे जान पर प्रस्तुत करने की बाध्यता रहेगी।

15 विवादों का निपटारा :–

15.1 इस निविदा में उल्लेखित समस्त कण्डिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इन्टरपीटेशन) के विषय में कोई विवाद होने की स्थिति में प्रबंध संचालक, छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं निविदाकारों पर बन्धनकारी होगा।

15.2 इस निविदा तथा अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद किसी प्रकार का अगर उत्पन्न होता है तो उस पर एक मात्रा आर्बीट्रेटर द्वारा निर्णय किया जावेगा। इसके लिए प्रमुख सचिव/सचिव /संयुक्त सचिव, खाद्य छत्तीसगढ़ शासन रायपुर एक मात्र आबीट्रेटर होंगे। जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त विवादों का न्यायालयीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ रहेगा।

16 निविदा में तकनीकी बिड लिफाफे में प्रस्तुत होने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची :–

16.1 निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण का प्रारूप परिशिष्ट क्रमांक – 05 भरकर एवं हस्ताक्षर–मोहर सहित निम्न संलग्नकों के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है:–

- निविदाकार यदि भागीदारी फर्म है तो भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति

- निविदाकार कंपनी होने की स्थिति में कंपनी का पंजीयन प्रमाण पत्र की नोटराइज्ड प्रति
- निविदाकार फर्म होने पर फर्म की स्थापना, पंजीयन प्रमाण पत्र की नोटराइज्ड प्रति
- निविदाकार कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर शिप जिस हैसियत में निविदा जमा कर क रहा है, का विगत 03 वर्षो की दाखिल आयकर विवरणीयों की स्व–प्रमाणित प्रतियॉ, पेनकार्ड की प्रति, वित्तीय वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 अथवा 2014–15 में खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ के प्रसंस्करण व्यवसाय का न्यूनतम टर्न ओवर 18.00 करोड़ होना अनिवार्य है। साक्ष्य स्वरूप फर्म/ कम्पनी की AUDITED बेलेंस सीट, लाभ–हानि खाता संलग्न करें (UNAUDITED मान्य नहीं होगी) ।
- राशि रूपये 5.00 करोड़ हेतु किसी राष्ट्रीकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा जारी सहमति पत्र की मूल प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

16.2. प्रत्येक निविदाकार को इस निविदा के साथ प्रत्येक संभाग के लिए रूपये 1.00 करोड़ दिनांक 05.02.2015 तक छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि. रायपुर के खाता क्रमांक 32169202827, IFSC CODE- SBIN 0007237, न्यूशांतिनगर, स्टेट बैंक आफ इंडिया में RTGS के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है । अमानत राशि निगम में जमा होने पर NCDEX में भी मान्य किया जावेगा तथा NCDEX में राशि जमा होने पर निगम में मान्य किया जावेगा । अतः निविदादाता को एक ही जगह अमानत राशि जमा करना है ।

16.3 तकनीकी बिड के संबंध में निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्ट क्रमांक – 06 प्रारूप को नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत किया जाना है। इस परिशिष्ट के साथ यदि कोई संलग्नक दस्तावेज है तो यह राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रमाणित रूप से संलग्न किए जाने होंगे।

16.4 PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT का पालन करना अनिवार्य रहेगा ।

नोट :–निविदा के साथ जमा किये गये सभी प्रमाण पत्र नोटराईज्ड कराकर संलग्न करना है।

17. सफल निविदाकार को अनुबंध के समय ऑनलाईन में जमा की गई समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति जमा किया जाना अनिवार्य है ।

परिशिष्ट – एक

// गेहूँ की निविदा हेतु परिभाषाए / /

बिलासपुर संभाग (जांजगीर, कोरबा, रायगढ़)

UNIFORM SPECIFICATION FOR INDIAN WHEAT OF ALL VARIFTIES FOR RABI MARKETING SEASON 2014-2015 (15-16 Provisional)

Wheat shall ::

(A) be the dried mature grains of triticum vulgare, T. compactum, T. sphaerococcum, T. durum, T. aestivum and T. lustre.

(b) have natural size, shape, colour and lustre.

(c) be sweet, clean, wholesome and free from obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterous substances including toxic weed seeds and all other inpurities except to the extent indicated in the schedule below.

(d) be in sound merchantable condition.

(e) not have admixture of Argemone mexicana and lathyrus sativus (khesari) in any form, colouring matter and any obnoxious, deleterious and toxic material.

(f) conform to Food Safety and standards Act/ Rules (formerly PFA).

Schedule showing the maximum permissible limits of defferent refractions in Fair Avarage Quality of Wheat.

1.	Forign Matter %	0.75
2.	Other food grains %	2.00
3.	Damaged grains %	2.00
4.	Slightly damaged grains %	6.00
5.	shrivelled & broken grains %	6.00
6-	Moisture %	12.00

NOTE :-

1- within the overall limit specified for foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.4% of which dhatura and Akra (Vicia species) shall not be more than 0.025% and 0.2% by weight respectively.

2- kernels with glumes will not be treated as unsound grains during physical analysis, the glumes will be removed and treated as organic foreing matter.

3- Within the overall limit specified for damaged grains, ergot affected grains shall not exced 0.05%

4- In case of stocks having living infestation, a cut at the rate of Rupee tho per quintal may be charged as fumigaion charges.

परिशिष्ट – दो

// बिलासपुर संभाग (जांजगीर, कोरबा, रायगढ़) के स्थित प्रदाय केन्द्र/गोदाम का विवरण, जहां गेहूँ की पूर्ति किया जाना है //

जिलेवार गेहूँ की आवश्यकता प्रति माह :–

मात्रा (क्विंटल में)

क्र.	संभाग	क्र.	जिला	गोदाम	केन्द्रवार आबंटन PDS
1		1	जांजगीर	SWC-अकलतरा	4450
				SWC-चांपा	2500
				SWC-डबरा	1350
				SWC-नैला	6000
				SWC-बाराद्वार	2475
				SWC-सक्ती	4250
				SWC-चन्द्रपुर	950
				योग	21975
		2	कोरबा	SWC-कटघोरा	1450
				SWC-कोरबा	1720
				योग	3170
		3	रायगढ़	SWC-खरसिया	1850
				SWC-घरघोड़ा	1980
				SWC-धर्मजयगढ़	2195
				SWC-बरमकेला	1850
				CWC-1 Raigarh	6000
				SWC-सारंगढ़	2800
				SWC-लैलूंगा	1500
				योग	18175
				महा योग	49320

नोट : उपरोक्तानुसार जिलों के प्रदायकेन्द्र के आबंटन मात्रा शासन के आबंटन के अनुसार घट–बढ़ सकती है । उपरोक्त के अतिरिक्त जिले के प्रदायकेन्द्र घट–बढ़ सकते हैं जहॉ प्रदाय, जिसे प्रदायकर्ता के लिये बंधनकारी होगा ।

परिषिष्ट क्रमांक –3

निर्धारित स्पेसिफिकेशन की गेहूँ छ.ग. स्थित जिलों के गोदामों में पहुंचाकर देने के समस्त व्ययों–करों सहित निविदा दर का पत्रक

(एफ.ओ.आर वर्ष 2014–15 एवं 2015–16)

बिलासपुर संभाग (जांजगीर, कोरबा, रायगढ़)

क्र.	प्रदायकेन्द्रों तक पहुंचाने की दर	निविदा दरें अंको में प्रति क्विंटल	निविदा दरें शब्दों में प्रति क्विंटल
1	बिलासपुर संभाग (जांजगीर, कोरबा, रायगढ़) के (परिशिष्ट–02 के अनुसार) सभी प्रदायकेन्द्रों तक पहुंचाकर गोदामों में स्टेकिंग करने तक की दर (50KG शुद्व वजन) (दरें समस्त करों सहित होंगी)		

नोट :– निविदा की दरें केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही भरा जावें ।

दिनांक .....

निविदाकार का नाम.....

हस्ताक्षर/सील

हैसियत

परिशिष्ट – चार

अनुबंध–पत्र (नमूना प्रति)
(100/– रूपये मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, द्वारा मेरे/हमारे द्वारा दिनांक ..... को प्रबंध संचालक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., मुख्यालय रायपुर को प्रस्तुत मोहरबंद निविदा के प्रतिउत्तर में परिषिष्ट 2 में दर्शित जिलों के गोदामों में गेहूँ परिशिष्ट क्र. 3 में अंकित समस्त व्ययों–करों आदि सहित उल्लेखित गोदाम में पहुँचाकर देने तक की दरों (एफ0ओ0आर0) हेतु निविदा स्वीकृत करने के लिये सहमत हैं । अतः मैं/हम (यहॉ संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें मेसर्स ..... जो कि एक पंजीयन निर्माता/भागीदारी फर्म/स्वामित्व प्रोपाईटरशिप फर्म/कंपनी है और जिसके भागीदार/स्वामी) श्री .....पुत्र.....श्री..... .....निवासी..... एवं फर्म का पंजीकृत..... (जिसे इसमें इसको आगे प्रदायकर्ता कहा गया है एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 रायपुर (जिसे इसमें आगे कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक ..... को यह करार निष्पादित करता हूँ/करते हैं । इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के विभिन्न जिलों के गोदामों में निर्धारित स्पेसीफिकेशन की गेहूँ प्रदाय करने हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक ..... दिनांक .....तथा संपूर्ण निविदा दस्तावेज, संविदा की सामानय शर्तो और उसके अनुबंधों/निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण मैं/हम, मेरे/हमारे द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन रायपुर को प्रस्तुत निविदा के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र क्रमांक ..... . दिनांक ..... में जो इस करार का एक भाग हैं मैं/हम गेहूँ की निविदा में प्रस्तुत एवं स्वीकार/ऑफर की गई दरों पर निविदा के प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से ले रहा हूँ / ले रहे हैं । मैं/हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूँ /देते हैं कि मैं /हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोत्म योग्यता से करूंगा/करेंगे एवं इसके प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह रहूँगा/रहेंगे ।

निविदा दस्तावेज में समाहित उद्बोधन, निविदा निर्देश व मार्गदर्शक सूचनाएं सभी नियम एवं शर्तें, उसमें संलग्न सभी पृष्ठ एवम् परिशिष्ट आदि इस अनुबंध पत्र के अभिन्न अंग हैं जो हमें मान्य हैं, और हम दोनों पक्षकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य है ।

यह करार दिनांक ..... से ..... के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जायें, लागू रहेगा ।

प्रदायकर्त्ता हस्ताक्षर (हैसियत सहित एवं पद–संस्था मुद्रा)	कार्पोरेशन की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील
साक्षी	साक्षी
1. हस्ताक्षर..... नाम एवं पता	1. हस्ताक्षर ..... नाम एवं पता .....
2. हस्ताक्षर..... नाम एवं पता	2. हस्ताक्षर ..... नाम एवं पता .....

परिशिष्ट– पॉच

//निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

निविदाकार अपना पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाए

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि.
मुख्यालय, रायपुर

प्रिय महोदय,

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 मुख्यालय रायपुर द्वारा स्थित जिलों के संबद्ध जिलों के गोदामों में गेहूँ गोदाम में पहुँचाकर सुपुर्दगी हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने यह निविदा फार्म कार्पोरेशन की वेबसाइड में डाउनलोड किया है । हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों, निविदा दस्तावेज–संविदा शर्तो, नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिये गये विवरण को भली भांति पढ़कर समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ तथा बाध्य हूँ ।

इस संदर्भ में हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1.	निविदाकार का नाम व पता	–	.....
2.	दूरभाष क्रमांक कार्यालय/इंडस्ट्री एवं मोबाईल नंबर	–	.....
3.	निविदाकार का ई–मेल पता एवं फैक्स नंबर एस.टी. डी. कोड सहित	–	.....
4.	निविदाकार की संस्था का स्वरूप (फर्म/कंपनी /स्वामित्व/हिंदु अविभाजित परिवार आदि)	–	.....
5.	प्रोपराईटर/भागीदार/प्रबंध संचालक का नाम व पता संपर्क दूरभाष–मोबाईल नंबर सहित	–	.....
6.	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम /पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	–	.....
7.	कंपनी की स्थिति में कंपनी का पंजीयन क्र0 तथा दिनांक (नोटराइजइड प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	–	.....
8.	फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (नोटराईज्ड सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)	–	....
9.	बैंकर का नाम शाखा स्थान सहित (खाता क्रमांक लिखें)	–	.....
10.	निर्धारित जमा की गई जमानत राशि का विवरण राशिरूपये	–	RTGS UTR नं.....दि..... बैंक का नाम.....
11.	यदि निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन की आयातित गेहूँ प्रदाय की मंशा है तो स्थिति और इस हेतु किस देश/स्त्रोत से प्राप्त कर किस लाईसेंस के तहत दी जायेगी, का विवरण	–	.....
12.	निविदाकार का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर–(पेन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	–	.....

13. निविदाकार (कंपनी/फर्म/प्रोप्राइटरशिप) जिस हैसियत में भी निविदा जमा कर रहा है का विगत तीन वर्षों की दाखिल आयकर विवरणी की प्रमाणित प्रतियां सलग्न की जाएं। — .....
14. राशि रूपये 5.00 करोड़ हेतु किसी राष्ट्रीकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा जारी सहमति पत्र की मूल प्रति — .....
15. निविदाकार के पास वित्तीय वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 अथवा 2014–15 में खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ/खाद्यान्न के प्रसंस्करण व्यवसाय का 02 माह की मात्रा (लगभग 8664 मे.टन) के मूल्य के समतुल्य वार्षिक न्यूनतम टर्न ओवर 18.00 करोड़ होना अनिवार्य है। साक्ष्य स्वरूप फर्म/कम्पनी की AUDITED बेलेंस सीट, लाभ–हानि खाता संलग्न करें (UNAUDITED मान्य नहीं होगी) । — .....

घोषणा

1. उपरोक्त निविदा दस्तावेज तथा इसमें निर्धारित शर्तों के तहत कार्पोरेशन द्वारा हमें/मुझे गेहूँ प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में आवश्यकप्रतिभूति राशि और वांछित कागजात प्रस्तुत कर निर्धारित अवधि में अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूं।
2. हम/मैं उपरोक्तानुसार घोषित करते है/करता हूं कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इनके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूं।

दिनांक.....

निविदाकार के हस्ताक्षर.....

नाम.....
कंपनी/फर्म का नाम.....
पूरा पता.....
हैसियत.....
निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
मुहर/सील .....

नोट– इस परिशिष्ट में सभी उपेक्षित विवरण स्वष्ट रूप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टी स्थिति अनुसार स्पष्ट कर अंकित करे। अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवही की जा सकेगी।

परिशिष्ट –छः

तकनीकी बीड संबंधी घोषणा पत्र (अन्डरटेकिंग)

मैं/हम छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 मुख्यालय रायपुर द्वारा प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपयोग हेतु गेहूँ प्रदाय हेतु खुली आमंत्रित निविदा में स्वेच्छा से भाग ले रहे है। मैं/हम द्वारा कार्पोरेशन द्वारा अपनी बेवसाइड पर प्रकाशित निविदा सूचना एवं दस्तावेजों को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है और हम निर्धारित शर्तो तथा स्पेसीफिकेशन के अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी प्रदायकेन्द्रों के गोदामों में गेहूँ निर्धारित समयावधि में पहुंचाकर देने के लिए पूर्णतः सहमत है। हमारे द्वारा इस विषय में दर दी है, जो समस्त व्ययों सहित है।

2/ इस संबंध में हम तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने के प्रमाण में निम्न दस्तावेज पूर्ण सत्यता और निष्ठा के साथ स्वयं की जवाबदेही पर प्रस्तुत कर रहे है–

2.1 अमानत राशि का RTGS द्वारा निविदा में प्रस्तुत स्थिति अनुसार दर प्रस्तुती के आधार पर कुल अमानत राशि रू. ..... लाख का RTGS क्रमांक ..... दिनांक ..... छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 मुख्यालय रायपुर के पक्ष में पयेबल एट रायपुर छत्तीसगढ़ जमा किया गया है।

2.2 मैं/हम इस बात का भी पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ प्रमाणन करता हूँ/हैं कि हमारे निरूद्ध गेहूँ प्रदाय के विषय में आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की अनियमितता विषयक कोई अपराधिक मामला संपूर्ण भारत वर्ष में दर्ज नहीं है ना ही इस विषय में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई दण्ड मुझे/हमें प्राप्त हुआ है।

2.3 मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि गेहूँ प्रदाय के विषय में मुझे/हमें व्यवसाय के दौरान खराब परफॉरमेंस/डिफॉल्टर होने आदि के कारण संपूर्ण देश में किसी भी शासकीय /अशासकीय संस्था द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गय है।

2.4 मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा के तहत निर्धारित अच्छी गुणवत्ता की गेहूँ समय पर आदेशानुसार छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए निर्धारित गोदामों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे संबंधित समस्त जवाबदारी मेरी/हमारी रहेंगी।

2.5 मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि इस निविदा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में गेहूँ प्रदाय के लिए हमारे पास विधिसम्मत स्थिति अनुसार सभी अनुज्ञा पत्र और अनुमतियां वैद्य रूव से प्रचलित अवस्था में है। इस गेहूँ प्रदाय में इसकी समस्त जवाबदेही हमारी रहेगी।

दिनांक .....

निविदाकार के हस्ताक्षर .....
नाम .....
कंपनी/फर्म का नाम .....
पूरा पता .....
हैसियत .....
मुहर/सील .....

परिशिष्ट–सात

फॉयनेंशियल बिड संबंधी घोषणा पत्र (अन्डरटेकिंग)

मै/हम छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 मुख्यालय रायपुर द्वारा प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपयोग हेतु ग्रेड गेहूँ प्रदाय हेतु विज्ञाप्ति निविदा सूचना, निविदा दस्तावेज, अनुबंध तथा इससे संबंधित समस्त शर्तो तथा स्थितियों को स्पष्टता समझ कर निविदा में परिशिष्ट क्रमांक –03 में अपनी दरें छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 मुख्यालय रायपुर गोदामें में गेहूँ स्कंध पहुंचाकर समस्त व्ययों सहित देने के लिये प्रस्ततु कर रहा हूँ।

2/ उपरोक्त प्रस्तुत निविदा दरें मेरे/हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज तथा अनुबंध की शर्तो तथा इस बरे में समय–समय पर कार्पोरेशन प्रबंध संचालक द्वारा जारी दिशा–निर्देश के तहत छत्तीसगसढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में गेहूँ प्रदाय के लिए दी गई है, जिस हेतु मैं/हम पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

3/ मैं/हम निविदा दस्तावेज की शर्तो के मुताबिक स्वीकृत/ऑफर की गई निविदा अवधि की संभावित गेहूँ प्रदाय मात्रा हेतु बैंक गारंटी के लिए सहमति प्रत्र प्रतिभूति के रूप में स्वीकृति के दिनांक से 15 दिवस में देने हेतु सहमत और प्रतिबद्ध हूँ और तदानुसार इस समय – सीमा में अनुबंध करूंगा।

4/ मैं/हम इस निविदा प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में प्रतिभूति राशि प्रस्तुत कर अनुबंध न करने पर कार्पोरेशन के पास निविदाकार की उपलब्ध अमानत राशि/अन्य उपलबध राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट किए जाने के प्रावधान से अवगत हूं ।

दिनांक .....

निविदाकार के हस्ताक्षर .....
नाम .....
कंपनी/फर्म का नाम .....
पूरा पता .....
हैसियत .....
मुहर/सील .....

परिशिष्ट–आठ

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on .....day of the month.....20....., between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri.....(Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (here in after called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s.....represented by Shri .....Chief Executive Officer(hereinafter called the "BIDDER/Seller." which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

2.1 Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

2.2 Enabling BIDDERs to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following :-

3.1 The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

3.3 All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official (s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same *prima facie* found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following :-

4.1 The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour of disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER, further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4 The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other

intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5 The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6 The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7 The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8 The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9 The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could Justify BIDDER,s exclusion from the tender process.

5.2 If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1 Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of .....

(ii) A confirmed guarantee by an India Nationalised/Scheduled Bank, promising payment of the guaranteed sum to the .....(BUYER)..... on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2 The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3 In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4 No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required :-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue. .....

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with Interest there on at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to payment, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contract with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(xi) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the

BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender, Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependant upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1 The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITERS

9.1 The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentially.

9.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designed by the BUYER.

9.6 The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

10. FACILITION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information to the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTION

This actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at.....on .....

BUYER	BIDDER
Name of the Officer	CHIEF EXECUTTIVE OFFICER
Designation	
Department/PSU	
Witness	Witness
1.....	1.....
.....	.....
2.....	2.....
.....	.....

परिशिष्ट–नौ

INFORMATION & INSTRUCTIONS TO THE BIDDERS OF CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.

FOR e-PROCUREMENT SYSTEM (*https://cgeprocurement.gov.in*) Through Sub Portal (*https://nan.cgeprocurement.gov.in*) of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.

Special conditions and Instructions for e-Procurement System as given in the subsequent pages will over-rule the conditions stated in the Tender document wherever relevant and applicable.

1. Enrollment/Registration & Empanelment of the Contractors/Bidders on Government of Chhattisgarh's e-Procurement Portal.

   In order to participate in the tenders floated using the e-Procurement System, all contractors/bidders are required to get enrolled on the e-Procurement portal (*http:cgeprocurement.gov.in*) and the get empanelled (if required by the Department) on the sub-portal of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited, Chhattisgarh at *http://nan.cgeprocurement.gov.in.*

   Only after concerned officer approves the empanelment of the contractor/bidder online, the contractor/bidder shall be allowed to participate in the tenders floated by the Department using the e-Procurement System.

2. Set-up of Machine:

   In order to operate on the e-Procurement System, setting of User's Machine is required. For which the User has to install some utilities in his machine as per the instructions in Help Manual for Machine Setup (Available for download on the e-Procurement Portal). The copy of the same may be obtained From Service Provider of the e-Procurement system: *"Wipro Limited in consortium with the M/s NexTenders (India) Pvt. Ltd."*

3. Obtaining a Digital Certificate:

   The bids submitted online should be signed electronically with a Digital Certificate to establish the identity of the bidder bidding online. These Digital Certificates are issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities, Government of India.

   A Digital Certificate is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a digital certificate can be issued.

   The registered contractors may obtain information required to issuance of a class II Digital Signature Certificate from the Controller of Certifying Authorities *(www.cga.gov.in)* or the Service Provider of e-Procurement system of Government of Chhattisgarh:

   Wipro Limited in Consortium with NexTenders (India) Pvt. Ltd.

   B-31 "saket"

   Opp Gulab Industries,

   Shailendra Nagar,

   Raipur.

   Tel. No. 0771 - 40 79 400, 42 21 020, Fax No.0771 4221023

   E-mail: raipur@nextenders.com

Important Note: Submission of Bids for a particular tender shall be done only using the digital certificate. In case, during the process of a particular tender, the user looses his Digital Certificate (i.e. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may not be able to submit the bid online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

In case of online tendering, the digital certificate issued to the authorized user of a firm and used for electronic tendering will be considered equivalent to no-objection certificate/power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the digital certificate as per Indian *IT Act 2000*. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to bid on behalf of the firm for the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited tenders as per *Information Technology Act 2000.* The digital signature of this authorized user will be binding on the firm, it shall be the responsibility of management/partners of the registered form to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh *'authorization certificate'* for the new user.

The same procedure holds true for the authorized users in a Private/Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

4. Opening of an Electronic Payment Account:

   For submitting the bids online, the contractors/bidders are required to make online payment using the electronic payments gateway service as mentioned in the NIT.

   Arrangements have been made for Contractors/Bidders to make payments online via Credit Card/Cash Cards/Internet Banking. The different modes of electronic payments accepted on the e-Procurement System is available and can be viewed online on the e-Procurement Website (*http://cgeprocurement.gov.in*).

5. Payments for submission of bids online:

   The Tender Documents may be downloaded free of cost from online GOC e-Procurement Portal by eligible Contractors/Bidders. The Contractors/Bidders are required to make the payment for bid hash submission through online payment modes mentioned in *Point No.4* above. *In Online Tendering, the "Application Form" for the issue of Tender Documents shall not be required."*

   The suppliers shall submit the bids by making online payment of Bid Hash Submission fees using the service of the secure electronic payments gateway, and print out the system generated receipt of their reference which can be produced whenever required.

   The secure electronic payments gateway is an online interface between Contractors/ Bidders and Credit Card/Online payment authorization network.

   Submission of Bids, EMD and other Documents will be governed by the time schedules given under "Key Dates" on the online e-Procurement System Portal for the particular tender.

(Please refer to the Help Manual for viewing of New Tenders online on the e-Procurement Portal)

6. Tender Download: Eligible/Interested Bidders can download the Tender Document online.
7. Submission of Bid Seal (Hash): The online submission of bids will be preceded by submission of the "digitally signed bid seal (hash)" as stated in the tender time schedule (Key Dates) published in the NIT. The contractors cannot change any bid data after the generation of bid seal (Hash).

8. Generation of Super-Hash: After the time of submission of Bid Seal (Hash) by the Contractors/Bidders has lapsed, the bid round will be closed and a "digitally signed tender Super-Hash" which will be prepared by concerned Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited Department Official. This is equivalent to sealing the tender box.
9. Submission of Actual Online Bids: Suppliers have to submit and sign their encrypted bids (by their user Public-Key) online using their digital certificate after the generation of Super-Hash within the date and time as stated in the tender schedule (Key Dates). The electronic bids of only those suppliers who have submitted their bid seals (hashes) within the stipulated time, as per the tender time schedule (Key Dates), shall be accepted by the system. A supplier who does not submit his bid seal (hash) within the stipulated time shall not be allowed to submit his bid.
10. Submission of Earnest Money Deposit: The Suppliers will also submit their Earnest Money Deposit as usual in a sealed physical "Cover-A" (Technical Bid) and the same should reach the stipulated time to Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited office as stated in the Tender Document, by personally along with all required documents. The Supplier shall also upload scanned copy of EMD instrument along with other details during online bidding
11. Opening of Tender Documents: The authority receiving the tenders or his duly authorized officer shall first open the "Envelope A" (Technical Bid) of all the contractors/Bidders and check for the validity of EMD and documents submitted in the "Envelope-A", as required by Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited. In case, the requirements are incomplete, the Technical Bid of the concerned supplier received shall not be opened. The authority shall then open the bids submitted by the suppliers online through the e-Procurement website. The official shall match the hash of each bid with the hash submitted by the contractors prior to bid submission.
12. Fill Negotiated Rates: The Successful bidder may have to fill in Negotiated Rates if so required during this process. In case of no negotiation or no change in rates successful bidders need to complete the Fill Negotiated Rates Stage.
13. Key Dates: The suppliers are strictly advised to follow the tender schedule (Key Dates) for their side of tasks and responsibilities to submit their bids, as the system is time and date locked.

*****

परिशिष्ट – दस

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि.
मुख्यालय, रायपुर

विषय :– निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज के संबंध में । बिलासपुर संभाग (जांजगीर, कोरबा, रायगढ़) ।

विषयान्तर्गत निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न है :–

क्र.	विवरण	पेज क्र.
01	निविदा दस्तावेज के समस्त पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर संलग्न किया जावे।	
02	निविदाकार यदि भागीदारी फर्म है तो भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति	
03	निविदाकार कंपनी होने की स्थिति में कंपनी का पंजीयन प्रमाण पत्र	
04	निविदाकार फर्म होने पर फर्म की स्थापना, पंजीयन प्रमाण पत्र	
05	विगत 3 वर्ष के आयकर रिर्टन एवं पैन कार्ड की प्रति ।	
06	भागीदार/कम्पनी विलेख ।	
07	हस्ताक्षरकर्त्ता के पक्ष में पावर आफ एटार्नी ।	
08	जमा की गई अमानत राशि RTGS की छायाप्रति ।	
09	निविदाकार के पास वित्तीय वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 अथवा 2014–15 में खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ/खाद्यान्न के प्रसंस्करण व्यवसाय का 02 माह की मात्रा (लगभग 8664मे.टन) के मूल्य के समतुल्य वार्षिक न्यूनतम टर्न ओवर 18.00 करोड़ साक्ष्य स्वरूप फर्म/कम्पनी की AUDITED बेलेंस सीट, लाभ–हानि खाता संलग्न करें (UNAUDITED मान्य नहीं होगी) ।	
10	राशि रूपये 5.00 करोड़ हेतु किसी राष्ट्रीकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा जारी सहमति पत्र की मूल प्रति	

नोट :– उपरोक्त दर्शित बिन्दु क्रमांक 02 से 10 तक सीरियल के अनुसार ही दस्तावेज (नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति) निविदा के साथ संलग्न करें

निविदाकार के हस्ताक्षर सील सहित
मोबाईल नंबर.....